

आदेश पत्रक

सत्र- 25/1/87
हल्का सं० पटना सदर

आदेश और पदधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में
आवेदक / आवेदिका श्री उदय कुमार	
पिता / प्रति श्री पुरम सिंह	
सा० पुरम	
जिला पटना के वाला 357 दिनांक 6/11/1987	
कें आधार पर निम्नांकित भूमि का दाखिल खारिज करने हेतु आवेदन दिया है।	
<p style="text-align: center;">जमीन का विवरण:-</p>	
महल्ला वार्ड नं० शीट नं० सर्किल नं० हो० नं० म्य० प्लॉट नं० रकबा	26 242-160 113/54 416 1.070
मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन देने हेतु दें। अभिलेख दिनांक 31/1/87 को रखे।	
अंचलाधिकारी पटना सदर	अंचलाधिकारी पटना सदर
अभिलेख उपस्थापित हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। पक्ष आग महाल रैयत को सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 16/11/87 को सुनवाई हेतु रखें।	
अंचलाधिकारी पटना सदर	अंचलाधिकारी पटना सदर
अभिलेख उपस्थापित, महाल पर नोटिस तामिला प्राप्त है। सुनवाई के समय कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। हल्का कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनलोगों ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि का जमावन्दी कायम नहीं हैं। दिनांक 01.01.1956 से प्रति कठ्ठा अलावे शेष की दर से लगान वसूली हेतु अनुशांसा किया है। अतः इनके अनुशांसा के आधार पर उपरोक्त भूमि का लगान दिनांक 01-01-1956 से प्रति कठ्ठा अलावे शेष दर से राजस्व लगान वसूल करने की दी जाती है।	
शुद्धि पत्र निर्गत करें।	
लेखापति एवं संशोधित।	
अंचलाधिकारी पटना सदर	अंचलाधिकारी पटना सदर

प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 16/1/87